(122)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1047–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–2–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 86/अपील/2011–12.

सुमेर सिंह आ0 सबलसिंह राजपूत
निवासी ग्राम खरतलाय
तहसील टिमरनी जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र आ0 आत्माराम बलाही
निवासी ग्राम खरतलाय
तहसील टिमरनी जिला हरदा .....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/1/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, टिमरनी के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम खरतलाय तहसील टिमरनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 141/6, सर्वे कमांक 142/8 एवं सर्वे कमांक 142/13 रकबा 1.347 हेक्टेयर का उसके

द्वारा सीमांकन कराया गया है । सीमांकन में 0.17 एकड़ भूमि पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–8–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का 3 दिवस में कब्जा हटाकर आवेदक को सौपने के आदेश अनावेदक को दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–1–2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–2–2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के तत्वों को सिद्ध किया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के खण्डन में अनावेदक द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, और तहसील न्यायालय में अनावेदक द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जाना पाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सीमांकन को अवैध पाते हुए संहिता की धारा 250 के अंतर्गत पारित आदेश को निरस्त किया गया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही की वैधानिकता के संबंध में आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन स्थायी चिन्हों से नहीं किया गया है, और सीमांकन की कार्यवाही में अनावेदक सहित अन्य हितबद्ध पड़ोसी कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गई है । अतः ऐसे अवैध सीमांकन आदेश के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता

नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सीमांकन को अवैध ठहराया गया है, परन्तु पुनः सीमांकन के निर्देश नहीं देने में त्रुटि की गई है, क्योंकि जब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन निरस्त किया गया था, तब विधि एवं न्याय की दृष्टि से पुनः सीमांकन के आदेश देना चाहिए था । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत उभय पक्ष सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसील न्यायालय को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर